

सेवामें,

श्रीमान् सहायक कलक्टर (S.D.O.) महोदय,
गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

प्रार्थीगण :-

01. भीखाराम पुत्र जेहाराम उम्र 60 वर्ष
02. अचलाराम पुत्र जेहाराम उम्र 46 वर्ष जाति जाट निवासी हेमनगर,
मालपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर (राजस्थान)।

बनाम

प्रतिवादीगण :-

01. रतनाराम पुत्र लिछमणाराम उम्र 75 वर्ष
02. सुरताराम पुत्र जेहाराम उम्र 65 वर्ष जाति जाट निवासी हेमनगर
तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर (राजस्थान)।
03. शाखा प्रबन्धक बी० सी० सी० बी० शाखा नौखड़ा
04. शाखा प्रबन्धक एस० बी० आई० शाखा गुड़ामालानी।
05. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी।
06. राज्य सरकार जरिये एस० एम्० ओ० ~~कुं. जे. जी. जी.~~ (रावलीनाडी)

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं
आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी पी सी वास्ते पाने
अस्थायी निषेधाज्ञा

महोदयजी,

निवेदन प्रार्थीगण की ओर से निम्न प्रकार है कि :-

1. यह हैं कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद धारा 188, 209 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है जिसमें

30/12/20
कलक्टर गुड़ामालानी 30/12/20
5/12/20